दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 275 / 2020 — दिनांक : 06.04..2020

शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

विषय:— *स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर—एम, आशियाना, लखनऊ के पत्रांक:—क्षे0का0ल0 / 01—04 / 2020—21 दिनांक 06.04.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि इस समय समस्त उत्तर प्रदेश राज्य सहित सम्पूर्ण देश कोरोना वॉयरस (कोविड—19) सम्बन्धी आपदा के कारण गम्भीर संकट के दौर से गुजर रहा है।

राज्य सरकार के साथ—साथ अन्य सामाजिक संगठन भी इस आपदा से निपटने में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार राज्य के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों सहित आम नागरिकों के स्वास्थ, सुरक्षा एवं उनके भरण—पोषण के प्रति बेहद सजग व संवेदनशील है।

अत: शासन के तत्सम्बन्धी आदेश के क्रम में कुलपति महोदय के आदेशानुसार अनुरोध है कि कोरोना वॉयरस संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दृष्टिगत महाविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का माह—फरवरी एवं मार्च 2020 का वेतन भुगतान दिनांक 07.04.2020 तक सुनिश्चित कराते हुए वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही कि आख्या प्रमाण सहित विश्वविद्यालय के ई—मेल आई0डी0 (registrar@rmlau.ac.in) पर तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आदेश पत्रांक लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 274 / 2020 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया जा चूका है।

प्रकरण माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों से आच्छादित है।

भवदीय

उप—कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लॉग—इन आई0डी0 पर अपलोड करायें।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर—एम स्मृति उपवन, आशियाना, बिजली पासी किला, आलमबाग, लखनऊ।
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. आशुलिपिक प्रति—कुलपति को प्रति—कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6. पत्रावली।

उप—कुलसचिव